OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case Number : 04202505030001/2024-25

Shri/Smt. BAIRAB DATT UPADHAY ....Vs Exeutive Engineer. Haldwani Town

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	05/05/25	पत्रावली पेश हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी हो। विपक्षी दिनांक 13.05.2025 तक अपना उत्तर पत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत करे।	13/05/2025
	13.05.2025	आदेश पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उपभोक्ता की शिकायत हेतु उपभोक्ता के नाम की स्पेलिंग सुधार हेतु शिकायत पंजीकृत कर दी गई है, जो कि उपभोक्ता के अग्रसर बिल में प्रदर्शित होगी। शिकायत के निराकरण हो जाने के पश्चात वाद निस्तारित किया जाता है, पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

सदस्य ... सदस्य (तकनीकी) सदस्य (न्यायिक)
विoउoशिoनिoमंo हल्द्वानी विoउoशिoनिoमंo हल्द्वानी विoउoशिoनिoमंo हल्द्वानी

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.- 0420250413001/2025-26

Shri/Smt- Yogeswr Raj Singh Vs Executive Engineer- Haldwani (Town)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	13/05/2025	आदेश पत्रावली प्रस्तुत। ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से बिलिंग संबंधी शिकायत (Case No.- 0420250 4 1 3 0001) फोरम कार्यालय को प्राप्त हुई। उक्त शिकायत पर विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 21.04.2025 को उत्तर पत्र मय संलग्नक फोरम में प्रस्तुत किया गया। अवलोकित। परिवादी द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया था कि "Every time same error found in my electricity bill they charge very high amount in my bill as my consumption is lower.how to manage. I complaining all the time at hydel department haldwani but no one help me kindly verify my billing amount." विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि दिनांक 21.04.2025 को उपभोक्ता का संयोजन जो विभागीय है के बीजक रीडिंग (M.U.) के आधार पर निर्मित है एवं उपभोक्ता को नियमानुसार विभागीय सीलिंग (विद्युत उपभोग यूनिट) समायोजित है। वर्तमान में उपभोक्ता द्वारा अपने बिलों का भुगतान न किए जाने के कारण ₹ 11114.00 अवशेष है। साक्ष्य स्वरूप उपभोक्ता के लेजर एवं बिलिंग हिस्ट्री छायाप्रति भी प्रस्तुत की गयी है। परिवादी द्वारा दूरभाष के माध्यम से फोरम कार्यालय को अवगत कराया गया कि उसके द्वारा बिल जमा कर	

क्रमशः....

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.- 0420250413001/2025-26

Shri/Smt- Yogeswr Raj Singh Vs Executive Engineer- Haldwani (Town)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
		दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों के अवलोकन व परिवादी से दूरभाष पर हुई वार्ता से स्पष्ट है कि परिवादी की समस्या का समाधान हो चुका है। परिवादी की शिकायत का समाधान हो जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो। 13/05/25 सदस्य (उपभोक्ता) वि०उ०नि०नि०न० हल्द्वानी सदस्य (तक) 13.05.2025 सदस्य (न्यायिक)	

FFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case Number : 45/2025-26

Shri/Smt....हीरा सिंह..........**Vs** **Exeutive Engineer**....नैनीताल

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	30.04.25	पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा उपभोक्ता का खराब मापक दिनांक 27.04.2025 को बदल कर शिकायत का समाधान कर दिया गया है, तथा सीलिंग की छाया प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। (विपक्षी द्वारा दिनांकित 28.4.2025) अतः परिवादी की शिकायत का समाधान हो जाने के पश्चात पत्रावली निर्णय हेतु सुरक्षित	सुरक्षित
	02.05.25	आदेश पत्रावली प्रस्तुत। अवलोकन किया गया परिवादी की शिकायत का समाधान विपक्षी द्वारा किए कर दिया गया है, अतः वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

सदस्य (उपभोक्ता) सदस्य (तकनीकी) सदस्य (न्यायिक)

वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.- 55 /2025-26

Shri/Smt. डी० पी० बोस ....Vs Exeutive Engineer नैनीताल

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	30.04.2025	नई शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत करें। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी दिनांक 05/05/25 तक अपना उत्तर पत्र मंच में प्रस्तुत करें। विपक्षी सूचित हो।	05/05/2025
	05/05/25	आदेश पत्रावली पेश हुई। विपक्षी ने परिवादी के विद्युत बिल की प्रति प्रस्तुत की। पूर्व में बिल की प्रति इस कार्यालय कर्मी के WhatsApp नंबर पर भी प्रेषित कर दी गयी थी। परिवादी की शिकायत मीटर रीडर द्वारा 29/04/25 तक मीटर रीडिंग नहीं लिए जाने की थी, जबकि पूर्व बिल 23/03/25 को बना था। विपक्षी ने 23/03/25 से 30/04/25 तक का बिल बनाकर मंच में प्रस्तुत किया। अतः शिकायत का समाधान हो जाने पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	निस्तारित

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

हल्द्वानी

जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–46/2025,

पंजीकरण तिथिः– 08.04.2025

परिवादी

अनुराग तिवारी, 401,T2/Twri' पाइन,
ओक पेराडाइज श्यामखेत भवाली,
जिला–नैनीताल,

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में दिनांकित 08.04.2025 को कहा गया कि अनुराग तिवारी, 401,T2/Twri' पाइन ओक पेराडाइज श्यामखेत भवाली में 3 KW सोलर पैनल लगा है, बावजूद इसके मेरा बिल 8000 से अधिक आ रहा है। सोलर उत्पाद बिलिंग में कम दिख रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया जांच करके मुझे अवगत कराने का कष्ट करें।

2. विपक्षी द्वारा अपने पत्र में कहा गया कि उपभोक्ता की सोलर बिलिंग समस्या का समाधान करने हेतु MRI किया जाना है जिसमें समय लगभग संभव है MRI रिपोर्ट आने के उपरान्त ही आख्या प्रस्तुत की जाएगी।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर में दिनांक 23.04.2025 को कहा गया की श्री अनुराग तिवारी, श्यामखेत(591NM45110323) के समाधान के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत है–
   1. उपभोक्ता श्री अनुराग तिवारी, श्यामखेत के विद्युत (संयोजन संख्या 591NM45110323) में दि० 21.10.2024 से 01.12.2024 तक इम्पोर्ट यूनिट 739 एवं एक्सपोर्ट यूनिट 73 के सापेक्ष नेट यूनिट 666 दर्ज की गयी है। दि० 01.12.2024 से 01.01.2025 तक इम्पोर्ट यूनिट 1305 एवं एक्सपोर्ट यूनिट 30 में नेट यूनिट

1275, दि० 01.01.2025 से 01.02.2025 तक इम्पोर्ट यूनिट 1349 एवं एक्सपोर्ट यूनिट 34 में नेट यूनिट 1315, दर्ज की गयी है।

2. इसके अतिरिक्त 01.02.2025 से 01.03.2025 तक इम्पोर्ट यूनिट 1121 एवं एक्सपोर्ट यूनिट 35 में नेट यूनिट 1086, दर्ज की गयी है, एवं 01.03.2025 से 01.04.2025 तक इम्पोर्ट यूनिट 943 एवं एक्सपोर्ट यूनिट 102 में नेट यूनिट 841, दर्ज की गयी है।
3. उपभोक्ता के मापक संख्या 5517582608 की एम0आर0आई0 रीडिंग के आधार पर उपभोक्ता के प्रतिमाह बिल बनाये गये हैं।
4. उपभोक्ता के सोलर मापक की जांच की गयी जांच में मापक सही पाया गया है। विद्युत उपभोग एवं विद्युत उत्पादन यूनिटों के आधार पर विद्युत बिल सही है।
5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। MRI के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को प्रषित बिल सही हैं तथा उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 08 /05 /2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः– 08 /05 /2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–52/2025

सौरभ मेहता
गली नं0–03
नियर–राइज एण्ड साइन स्कूल
भगवानपुर जयसिंह
ब्लॉक–हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि "In my electricity connection number 391E211970502, Rs 119 has been added as ASD installment in the April bill. I tried to get this information from the electricity subdivision officer Kamaluwaganja. He said that the average of your JAN. FEB and MARCH bill amounts should be calculated for the whole year and your security amount should be higher accordingly (because my first bill was given in the month of JAN). That is why this charge is being taken which will be taken for the whole 12 months. I did not find it logical at all because the maximum demand in these three bills is within my section load and not extra load. So this should not have happened. And if we talk according to them, I had already deposited my connection charge and security amount before 10 October. So they released my service so late (on 26 November) and my first bill was also not sent to me. I had to go to their office and get it made. So I request you to please solve this problem of mine because I am a person with a private job and I am not able to bear the mental and financial crisis because I have to take leave to visit their office due to which I am incurring financial loss, so please solve this problem as soon as possible."
2. परिवादी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 05.05.2025 में कहा गया है कि शिकायतकर्ता को नये संयोजन हेतु 8 अक्टूबर 2024 में वांछित शुल्क जमा किया गया था परन्तु उक्त संयोजन में network extention of distribution mains होना है। जो यू०ई०आर०सी० के तहत

60 दिनों में करना होता है। अतः शिकायतकर्ता को संयोजन नियमानुसार सही समय पर निर्गत किया गया है। उपभोक्ता के संयोजन की निर्गत तिथि 26 नवम्बर 2024 है। वर्ष 2024–25 में हुई बिलिंग निम्नवत है:–

जनवरी 2025 – रू 2983.00
फरवरी 2025 – रू 1365.00
मार्च 2025 – रू 559.00
कुल – रू4907.00

अतः ASD की गणना निम्नानुसार की जाती है:–

4907*2 / 4 month=2454–1800
ASD = RS 654

उपभोक्ता का बिल के अनुसार ₹1472.00 ASD गणना की गयी थी। उपरोक्त धनराशि को उपभोक्ता के आवेदन पर 26 नवम्बर 2024 से 24 मार्च 2025 (4 माह) में औसत बिल आधार पर विभाजित करते हुए संशोधित ASD ₹ 654.00 कर दी गयी है (कागज संख्या–3 / 1 से 3 / 4)।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर / आपत्ति पत्र दिनांकित 05.05.2025 में कहा गया है कि "I received your reply through email, in which the department has stated that there was delay due to Network extention of distribution mains, I don't understand its meaning properly but if it means that there was no line near my house and a new line was laid by the department, then it was not so. there was a pole on the other side of the road right in front of my house which was in damaged condition, so I had given a letter to replace it, which I am attaching below, so I don't think that it will have any bearing on my service release because replacing damaged poles is the department's job and no such information was given by the department in this regard earlier. When my bill does not arrive till 26 November, I myself go to their office to get the bill generated because the bill is not generated through the meter reader, so they said that you will have to get the first bill made by going to the department only, so when I went there. they told me that your service has not been released yet, you should meet JE sahab. so when I went to him and told him about this, then he released the service at that time, if I had not gone. then it might not have happened even on that day. That is why I request that cognizance should be taken on this so that the common man does not have to bear the consequences of all this negligence of the department. As you have asked me to appear on 13/05/2025. I am a private employee and am currently in Delhi and my leave got over due to visiting the department regarding this problem, so I request you that I am unable to come physically on 13/05/2025, but if you say so, I will be present virtually."

4 मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 13.05.2025 की तिथि नियत की गयी थी। सुनवाई हेतु विभागीय प्रतिनिधि भौतिक रूप से उपस्थित हुये, परिवादी को दूरभाष के माध्यम से सुना गया।

सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा कहा गया कि उसने 8 अक्टूबर 2024 को शुल्क जमा किया था परन्तु संयोजन 26.11.2024 को जारी हुआ उसके अनुसार ASD ₹ 1472.00 लगाई गई जो गलत है संयोजन देरी पर विभाग की गलती है। अतः ASD संशोधित की

क्रमशः

जाए। सहायक अभियंता (राजस्व) ने सहमति जताते हुए कहा कि ASD की गणना 23 अक्टूबर से 24 मार्च संशोधित कर दी जाएगी।

5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया परिवादी द्वारा संयोजन हेतु कुल ₹ 2800.00 की धनराशि जमा कर दी गई जिसमें ₹ 1800.00 जमानत राशि है हजार रुपए सर्विस लाइन चार्ज के रूप में जमा किए गए हैं। अतः विपक्षी का यह कथन की "उक्त संयोजन में network extention of distribution mains होना है। जो यू०ई०आर०सी० के तहत 60 दिनों में करना होता है" को मंच स्वीकार नहीं कर सकता। विपक्षी ने पूर्व से स्थापित क्षतिग्रस्त पोल को बदलकर यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि परिवादी के संयोजन हेतु network extention of distribution mains हुआ है। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि संयोजन अवमुक्त करने में हुई देरी का परिवादी के आवेदन से कोई लेना नहीं है। अतः परिवादी की ASD की गणना संयोजन हेतु जमा धनराशि के 15 दिन बाद अर्थात दिनांक 23 अक्टूबर 2024 से 24 मार्च 2024 तक की जानी न्यायोचित होगी।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की ASD की गणना 23 अक्टूबर 2024 से 24 मार्च 2024 की अवधि के अनुसार बीजक संशोधित करें। विपक्षी 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 13/05/2025

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 13/05/2025

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या– 50/2025,
पंजीकरण तिथि:– 09.04.2025

कुन्दन नेगी, परिवादी
ग्राम–गेठिया,तल्लीताल
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र दिनांकित 09.04.2025 नैनीताल (शिविर)में कहा गया कि प्रार्थी के संयोजन सं० 591PCC1076970 का विद्युत बिल माह 01/2023 से माह 02/2024 तक RDF में प्रेषित किये गये जो कि पूर्ण रूप से गलत थे। महोदय मेरे द्वारा उक्त के क्रम में कई बार विद्युत विभाग के कार्यालय में गया किन्तु आज तक प्रार्थी को उक्त अवधि का समायोजन नही मिला। अतः कृपया कर प्रार्थी को उक्त अवधि का समायोजन बिल में दिलाने का कष्ट करें। प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कुमांयू क्षेत्र हल्द्वानी द्वारा दि0 09.04.2025 को नैनीताल, में लगाये गये कैम्प में प्राप्त शिकायत संख्या 50/2025 श्री कुन्दन नेगी, गेठीया, नैनीताल (591PCC1076970) के समाधान के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत है–
   1. उपभोक्ता श्री कुन्दन नेगी, गेठीया, नैनीताल के विद्युत (संयोजन संख्या 591PCC1076970) में दि0 20.01.2023 से 13.02.2024 तक के बिल आर0डी0एफ0 में बने हैं।

2. उपभोक्ता का मापक दि० 17.01.2024 को बदला गया है। मापक में अन्तिम रीडिंग 5754 अंकित की गयी।
3. उपभोक्ता को दि० 13.01.2024 से 13.02.2024 तक का बिल मापक की रीडिंग 17 के आधार पर एम0यू0 में संशोधन किया गया। जिस पर रु0 19542.00 का बिल बना है।
4. उपभोक्ता के मापक में दि0 18.09.2022 को रीडिंग 1410 एवं दि0 29.11.2022 को रीडिंग 5754 थी।
5. उपभोक्ता को दि0 29.11.2022 से 13.01.2024 तक के बिल सिस्टम द्वारा स्वतः ही आर0डी0एफ0 में बने हैं।
6. उपखण्ड अधिकारी की आख्या अनुसार उपभोक्ता का बिल सही है।

3. उपरोक्त विभाग के पत्र की प्रतिलिपि मंच द्वारा शिकायतकर्ता को भेजी गई, शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 30.04.2025 द्वारा पुनः कहा गया कि उसका बिल पूर्ण रूप से गलत है शिकायतकर्ता के अनुसार मीटर रीडर द्वारा दिनांक 20.01 2023 को प्रेषित बिल में पिछली रीडिंग 1410 से सीधे 5794 का बिल प्रेषित किया गया है जो कि आर0डी0एफ0 में था तत्पश्चात मेरे द्वारा मीटर रीडर से सत्यापित की हुई वर्तमान की रीडिंग 1450 की गई थी। उसके बाद भी बिल को समायोजित नहीं किया गया व मुझे आर0डी0एफ0 के बिल ही प्रेषित किए गए तत्पश्चात दिनांक 17.01.2024 को मेरा विद्युत मापक खराब होने के कारण विभाग द्वारा बदला गया।
4. मंच द्वारा उपरोक्त का अवलोकन करने के बाद सुनवाई हेतु 13.05.2025 की तिथि नियत की गई जिसे विभाग के अनुरोध पर 15.05.2025 एवं बाद में शिकायतकर्ता के अनुरोध पर 27.05.2025 के लिए निश्चित किया गया।
5. दिनांक 27.05.2025 को दोनों पक्ष भौतिक रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तर्क सुनने एवं परिशीलन करने पर पाया गया कि दिनांक 18.09.2022 को रीडिंग 1410 थी जो 29.11. 2022 में बढ़कर सीधे 5754 हो गयी। अर्थात एक बिल चक्र में एक कि0वा0 के संयोजन पर 4344 की खपत दर्ज की गई है जो कि सही प्रतीत नहीं हो रही। परिवादी के मापक बदलने से पूर्व की खपत एवं मीटर बदले जाने के बाद की खपत हमेशा बहुत ही कम रही हैं एवं लगभग बराबर है। दिनांक 29.11.2022 को आर0डी0एफ0 का बिल बनाया गया तथा रीडिंग 5754 थी। दिनांक 13.01.2024 तक आर0डी0एफ0 के ही बीजक बने तथा 17.01.2024 को मीटर बदल दिया गया। मीटर बदलने के समय भी रीडिंग 5754 दिखाई गयी है। इससे यह साबित होता है कि दिनांक 18.09.2022 एवं 29.11.2022 की अवधि के बीच ही मीटर खराब हुआ है तथा रीडिंग 1410 से बढ़कर 5754 हो गई है तथा इसी रीडिंग पर आई0डी0एफ0 हो गया।

6. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मंच का मत है कि पारिवादी का बीजक दिनांक 18.09.2022 से 17.01.2024 के लिए पूर्व के तीन बिल चक्रों के औसत **(54+65+68)/6 =31** यूनिट प्रतिमाह के आधार पर तथा दिनांक 17.01.2024 से वर्तमान तक वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा। इस संशोधित बिल में कोई विलंब शुल्क देय नहीं होगा एवं इस पूर्ण अवधि के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गई बिल राशि संशोधित बिल में सामायोजित कर दी जायेगी।
7. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि पारिवादी का बीजक दिनांक 18.09.2022 से 17.01.2024 तक 31 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर तथा दिनांक 17.01.2024 से वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा। इस प्रकार संशोधित बिल में कोई विलंब शुल्क देय नहीं होगा एवं इस पूर्ण अवधि के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गई बिल राशि संशोधित बिल में सामायोजित कर दी जायेगी। विपक्षी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 27/05/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः– 27/05/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.- 66 /2025-26

Shri/Smt. इकबाल हुसैन ....Vs Exeutive Engineer. रामनगर ....

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
[signature]	16/05/2025	आज यह परिवाद विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर [illegible] में प्राप्त हुआ है। विपक्षी / विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक 26 / 05 / 2025 तक अपना उत्तर पत्र ~~मय कन्ज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री~~ मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। [signatures]	26/05/25
[signature]	26.05.2025	**आदेश** पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया। उपभोक्ता का खराब मापक बदल दिया गया है, अतः शिकायत का समाधान हो जाने के पश्चात वाद निस्तारित किया जाता है, पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signatures] सदस्य (उपभोक्ता), वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी सदस्य (तकनीकी), वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी [illegible]	

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–विष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–58/2025
पंजीकरण तिथि–02.05.2025

मीना भट्ट — परिवादी
बी–42, कार्तिकेय कालौनी
फेज–2, कुसुमखेड़ा
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि उसके मेल दिनांक 24 फरवरी 2025 के क्रम में विभाग द्वारा चेक मीटर दिनांक 25 फरवरी को 2025को उसके आवास में लगाया गया। उसे यह बताया गया कि 10 मार्च 2025 को चैक मीटर के आधार पर बिजली के बिलों का मूल्यांकन किया जा सकेगा यदि यह पाया जाता है कि रेगुलर मीटर मापकों से अधिक बिजली की खपत कर रहा है। महोदय, श्री विश्वास (मोबाइल ६३६७१७०८०२) जो चैक मीटर लगा कर गए थे, से बार बार संपर्क करने पर भी उनके द्वारा न तो मोबाइल उठाया जा रहा और न ही स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को चैक मीटर के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए भेजा गया। कुछ कर्मियों के ऐसे कृत्य से अनावश्यक ही विभाग की एवं अच्छे अधिकारियों एवं कर्मियों की छवि भी खराब होती है। आपसे अनुरोध है कि कृपया चैक मीटर के आधार पर बिजली बिलों का पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश दें और चैक मीटर भी हटाने का निर्देश देने की कृपा करें।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता का विद्युत संयोजन 5 किलोवाट का है। उपभोक्ता की शिकायत के आधार पर ही चैक मीटर लगाया गया। चैक मीटर की रिपार्ट के अनुसार पुराना लगा मापक सही पाया गया है। उपभोक्ता का विद्युत उपभोग अधिक होने के कारण बिल अधिक धनराशि का बना है।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 13.05.2025 में कहा गया है कि "उपरोक्त संदर्भ के संबंध मैं स्पष्ट करना है कि विभाग द्वारा चैक मीटर अब हटा लिया गया है और सूचित किया गया है कि मूल मीटर ठीक है और इसके द्वारा दिखाई गई विद्युत ऊर्जा मानकों के अनुरूप है। विभाग के स्टेटमेंट से मैं संतुष्ट हूं। वरिष्ट नागरिक होने के कारण मैं स्वयं कार्यालय आने मैं समर्थ नहीं हूं। अगर आवश्यकता है तो किसी अधिकृत कर्मी/अधिकारी को आवास भेजने अथवा विभागीय गाड़ी भेजने का कष्ट करें।"
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने तथा परिवादी द्वारा विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–17/05/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–17/05/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोमाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–59 / 2025

पंजीकरण तिथि–03.05.2025

नन्दन सिंह परिवादी
मकान नं0–542
शांतिकुज रोड नं0–06
पीरूमद्वारा, रामनगर
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि " This is to inform that I am trying very sincerely for around last two months with your department to convert /enhance load of my residential/domestic connection from 2.0.KW to 3.0 KW, But despite repetitive attempt I am unable to understand why the request is being turned down / rejected despite submitting all mandatory documents e.g. AADHAR, ELECTRICITY BILL, LAND RECORD, KHATUNI etc. My service request with reference number 1122032501712 & 11004250253 though have been rejected but without informing any reason despite talking to concerned JE through your customer care. I have lodged a service request number 110205250328 dated 01-05-2025 again with hope that this time it will be approved and the load will be enhanced to as requested. This is also to inform that I am requesting for load enhancement since i am going for solar plant installation and therefore it is mandatory requirement. Therefore, you are requested to kindly look into the matter and advise the officials concerned for an early approval."
2. दिनाक 13.05.2025 को मंच में सुनवाई तिथि नियत थी। विपक्षी अनुपस्थित, परिवादी को दूरभाष पर सुना गया। परिवादी द्वारा कहा गया की वह 3 किलोवाट सोलर रूफ टॉप लगवाना चाहता है जिसके लिए उनके वेंडर ने लोड बढ़ाने के लिए कहा है। यदि 2

किलोवाट स्वीकृत भार पर 3 किलोवाट सोलर रूफ टॉप स्थापित हो जाता है तो लोड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। परिवादी को सुना गया। परिवादी जिस प्रयोजन के लिए लोड बढ़ाने का आवेदन किया है उसके लिए लोड बढ़ाना आवश्यक नहीं है क्योंकि उसकी अधिकतम मांग भी 2 किलोवाट ही है। अतः इस प्रकरण पर मंच कोई आदेश पारित नहीं कर सकता तथा वाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है । उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 13/05/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 13/05/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला—नैनीताल

उपस्थित 1—बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2—तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
3—हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या—61/2025

पंजीकरण तिथि—07.05.2025

सत्येन्द्र बडोनी — परिवादी
ग्राम—तल्ला निगलाट कैंची
डाकघर—कैंची
जिला—नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि मैं सतेंद्र बडोनी, ग्राम तल्ला निगलाट कैंची का निवासी हूँ तथा मेरा विद्युत उपभोक्ता खाता संख्या—42400338420 है। मुझे माह 08.03.2025 से 09.04.2025 के लिए विद्युत बिल संख्या—384622504090000104 प्राप्त हुआ है, जिसकी राशि ₹ 26,832.00 है। यह राशि अत्यधिक है तथा मेरी सामान्य मासिक खपत की तुलना में असंगत रूप से अधिक है। उक्त अवधि के दौरान मेरे परिसर पर विद्युत उपयोग अत्यन्त सीमित रहा है। इससे पूर्व के महीनों के बिल निम्न प्रकार से रहे हैं:—

मार्च 2025:	₹3,620.00
फरवरी 2025:	₹5,839.00
जनवरी 2025:	₹1,592.00
दिसंबर 2024:	₹5,400.00

उक्त सभी बिल समय पर जमा कर दिए गए हैं और उनकी राशि भी औसत उपयोग के अनुरूप रही है। किन्तु अप्रैल माह का बिल असामान्य रूप से अधिक होने के कारण मुझे आशंका है कि या तो मीटर में तकनीकी त्रुटि है अथवा रीडिंग में कोई त्रुटि हुई है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया उक्त बिल की यथाशीघ्र जाँच करवाई जाए एवं आवश्यकता होने पर मेरे परिसर पर मीटर की भौतिक जाँच भी की जाए, ताकि वास्तविक स्थिति का

पता चल सके और मुझे अनुचित आर्थिक भार से राहत मिल सके। आपसे शीघ्र एवं सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा करता हूँ।

2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के (संयोजन संख्या–5909999611865) विद्युत बिल में वर्तमान मापक से प्राप्त रीडिंग के अनुसार संशोधित कर दिया गया है। संशोधन के उपरान्त उपभोक्ता का विद्युत बिल ₹ 3549.00 बना है। उक्त विषयक किये गये संशोधन से उपभोक्ता को भी अवगत करा दिया गया है।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर / संतुष्टि पत्र दिनांकित 14.05.2025 में कहा गया है कि "मेरी पूर्व में दायर वाद संख्या 61 / 2025 (उपभोक्ता खाता संख्या–42400338420) के संदर्भ में आपके मंच द्वारा की गई त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही हेतु मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आपकी कृपा से मेरे विद्युत बिल की जाँच कर वास्तविक खपत के अनुसार संशोधित बिल ₹3,549.00 जारी किया गया, जिसे मैंने जमा कर दिया है। इस प्रक्रिया में माननीय मंच द्वारा प्रदर्शित संवेदनशीलता, निष्पक्षता एवं उपभोक्ता हित में उठाए गए कदमों के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। आपके इस उत्तरदायित्वपूर्ण प्रयास से उपभोक्ताओं का संस्थान पर विश्वास और अधिक दृढ़ हुआ है। एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद।"
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने तथा परिवादी द्वारा विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 19/05/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 19/05/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोमाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–62/2025

पंजीकरण तिथि–07.05.2025

मो0 नाजिर — परिवादी
पुत्र सगीर अहमद
चैनल गेट मं0नं0–674
इन्द्रा नगर, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि मैं UPCL का स्थाई उपभोक्ता हूं। मेरा कनेक्शन संख्या–381TNA9122616 है तथा मीटर संख्या–375122 है किंतु उक्त मापक यंत्र में पूर्व में जो रीडिंग के आधार पर बिल आया वह लगभग ₹ 45000.00 के करीब आया हैं जो कि मेरे घर के लोड से कई गुना अधिक आया है। उक्त बिल की शिकायत मेरे द्वारा UPCL के सभी कार्यालय में की गई परंतु किसी भी कार्यालय से मेरी शिकायत का समाधान नहीं हुआ। तत्पश्चात मुझे सुझाव दिया गया कि आप चैक मीटर के लिए आवेदन करें, मेरे द्वारा परीक्षण खंड में आवेदन किया गया तो उक्त कार्यालय से चैक मीटर लगाया गया। मीटर संख्या–42627607 था। जब उक्त मीटर के द्वारा रीडिंग का माप किया गया तो दोनों मीटर में काफी ज्यादा अंतर पाया गया तथा परीक्षण खंड की रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि दोनों मीटर में काफी अंतर है। अतः महोदय से विनम्र अनुरोध है कि मेरी शिकायत का समाधान निवारण मंच के माध्यम से कराने की कृपा करें तथा उक्त मंच के माध्यम से न्याय दिलाने की कृपा करें। साथ ही यह भी निवेदन है कि विद्युत विभाग द्वारा मेरा विद्युत संयोजन काट दिया गया है उसे भी जुड़वाने की कृपा करें। उसे जो भी बिल संशोधन के उपरान्त प्राप्त होगा वह उसे जमा कर देगा।

2. विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारी को पत्रांक–1909 दिनांक 08.05.2025 प्रेषित किया गया, जिनके द्वारा मामले की जांच कर अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर चैक मापक 22.08.2024 को स्थापित किया गया जिसके पुनिरीक्षण दिनांक 22.08.2024 को की गई। स्थापित चैक मापक के मूल मापक के पाठ्यांक में अधिक अंतर आने के कारण मूल मापक को IDF मानते हुए अवधि 01/2024, 02/2024 एवं 03/2024 के औसत जो कि 403 यूनिट प्रतिमाह है। जो कि उपभोक्ता के पूर्व माहों के उपभोग बिलों के समतुल्य है तथापि उपभोक्ता को माह 02/2025 ₹ (–) 844.00 समायोजन किया गया है। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि उपभोक्ता द्वारा अपने पूर्व के बिलों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण ₹ 45087.50 का अवशेष था। माननीय मंच के आदेश के अनुसार उपभोक्ता द्वारा दिनांक 09.05.2025 को ₹ 23000.00 जमा किए जाने के उपरांत वर्तमान में ₹ 22017.00 की धनराशि जमा करने हेतु अवशेष है।

3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 15.05.2025 की तिथि नियत की गई थी। सुनवाई हेतु पक्षकार भौतिक रूप से उपस्थित हुए, पक्षकारों के तर्क सुने गए।

सुनवाई में विपक्षी द्वारा परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री के साथ आख्या प्रस्तुत की गई। सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा कहा गया कि उसे चैक मापक का लाभ नहीं मिला तथा चैक मापक में आए अंतर के अनुसार लाभ दिलाया जाए।

मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। मंच ने परिवादी के परिसर पर स्थापित चैक मापक सीलिंग प्रमाण पत्र तथा परिवादी की बिल हिस्ट्री का गहनता से अवलोकन करने पर पाया कि उसके परिसर पर दिनांक 16.04.2024 को चैक मापक स्थापित किया गया जिसे दिनांक 22.08.2024 को फाइनल किया गया। उक्त अवधि में परिवादी के मीटर में 1082 यूनिट (13531 – 12269) तथा चैक मापक में 407 यूनिट की खपत दर्ज की गई। अर्थात परिवादी का मीटर 165.84 फीसदी तेज चल रहा था। विपक्षी ने चैक मापक अंतर का समायोजन देने के बजाय उसे IDF मानकर बिल की गणना की है जिसे यह मंच खारिज करता है। मंच के मत में माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम के अनुसार परिवादी को उचित समायोजन प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा। कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि दिनांक 16.04.2024 से दिनांक 18.04.2025 तक चैक मापक ने (जो अब मुख्य मापक है) 769 यूनिट की खपत की है। अतः इस अवधि की गणना वास्तविक खपत पर किया जाना तथा दिनांक 16.04.2024 से पूर्व के बीजकों में दिनांक 18.09.2023 से दिनांक 16.04.2024 तक चैक मापक रिपोर्ट के आधार पर परिवादी के तेज चलते मीटर की यूनिटों को समायोजित करते हुए बीजक की गणना किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित है। मंच का दिनांक 07.05.2025 का अंतरिम आदेश विपक्षी के बिल संशोधन के 7 दिन बाद तक प्रभावी रहेगा। तत्पश्चात भुगतान नहीं होने की स्थिति में विपक्षी नियमानुसार कार्यवाही को स्वतंत्र होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का बीजक दिनांक 16.04.2024 से 18.04.2025 तक कुल खपत 769 यूनिट एवं दिनांक 18. 09.2023 से 16.04.2024 तक की खपत को चैक मापक रिपोर्ट के आधार पर संशोधित करते हुए उचित समायोजन प्रदान करे। उक्त अवधि में परिवादी द्वारा जमा कराई गई धनराशि का भी समायोजन किया जाए। उक्त अवधि की संशोधित धनराशि पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार देय नहीं होगा हालांकि उपरोक्त अवधि से पूर्व की बकाया राशि पर LPS लिया जाएगा। परिवादी संशोधित बीजक प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर भुगतान करना सुनिश्चित करे। विपक्षी इस आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। परिवाद तदनुसार निस्तारित। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 19/05/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 19/05/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.- 64 /2025-26

Shri/Smt. धीरेन्द्र कुमार डिम्वाल Vs Exeutive Engineer रामनगर

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
[signature]	14/05/2025	आज यह परिवाद विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर डिम्वाल में प्राप्त हुआ है। विपक्षी / विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक 26 / 05 / 2025 तक अपना उत्तर पत्र ~~मय कन्ज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री~~ मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। [signatures]	26/05/2025
[signature]	26/05/25	आदेश पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। उपभोक्ता का खराब मीटर बदल दिया गया है, इस प्रकार परिवादी की शिकायत का समाधान हो गया है, अतः वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो [signatures] सदस्य (उपभोक्ता) सदस्य (तकनीकी) सदस्य (न्यायिक) वि०उ०शि०नि०मं० वि०उ०शि०नि०मं० वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी	

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.- 68 /2025-26

Shri/Smt. धीरेन्द्र कुमार हिम्वाल ....Vs Exeutive Engineer. रामनगर ....

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	14/05/2025	आज यह परिवाद विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर ....डिजुली.... में प्राप्त हुआ है। विपक्षी / विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक ..26.. / ..05../2025 तक अपना उत्तर पत्र ~~मय कन्ज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री~~ मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। [signatures]	26/05/25
[signature] 500	26.05.2025	आदेश पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें लोवोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु प्राक्कलन तैयार किया व कार्य की स्वीकृति होते ही 1 नग 100 के०वी०ए० की परिवर्तक स्थापित करने की बात कही गयी है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवर्तक स्थापना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करते हुये 60 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। परिवाद तद्नुसार निस्तारित। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

सदस्य (उपभोक्ता) वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी | सदस्य (न्यायिक) वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी | अध्यक्ष वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.- 67 /2025-26

Shri/Smt....इकबाल हुसैन..........Vs Exeutive Engineer....रामनगर....

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	14/05/2025	आज यह परिवाद विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर ....ढिकुली.... में प्राप्त हुआ है। विपक्षी / विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक .26 / 05 / 2025 तक अपना उत्तर पत्र ~~मय कन्ज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री~~ मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।	26/05/25
	26/05/25	**आदेश** पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी ने आख्या प्रस्तुत की। आख्या के अनुसार लो वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु प्रणाली सुधार मद में प्राक्कलन तैयार किया गया है, कार्य की स्वीकृति प्राप्त होते ही 01 नग 63 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित किया जायेगा। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवर्तक स्थापना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुए 60 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। परिवाद तद्नुसार निस्तारित, पक्षकार सूचित हों, पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

सदस्य (उपभोक्ता) वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी) वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

अध्यक्ष (न्यायिक) वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.- 69 /2025-26

Shri/Smt. ललित मोहन टिम्वाल ......Vs Exeutive Engineer.... ग्रामीण ....

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
[signature]	19/05/2025	आज यह परिवाद विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर ....डिडुली.... में प्राप्त हुआ है। विपक्षी / विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक ..26../..05../2025 तक अपना उत्तर पत्र ~~मय कन्ज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री~~ मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। [signatures]	26/05/25
[signature]	26.05.2025	**आदेश** पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें विपक्षी द्वारा मैं. टी.एम.सी. कम्पनी को उपभोक्ताओं के बिल वितरण का कार्य समय पर करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः परिवादी की शिकायत का निस्तारण कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

[signatures]

सदस्य (उपभोक्ता) विo उoशिoनिoमo हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी) विo उoशिoनिoमo हल्द्वानी

सभापति (न्यायिक) विo उoशिoनिoमo हल्द्वानी

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.- 71 /2025-26

Shri/Smt. ललित मोहन हिमाल ....Vs Exeutive Engineer... रामनगर ......

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
Lalit Mohan Chandra	19/05/2025	आज यह परिवाद विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर ....दिगुली.... मे प्राप्त हुआ है। विपक्षी / विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक .26../.05./2025 तक अपना उत्तर पत्र मय ~~कन्ज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री~~ मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। [signatures]	26/05/25
[signature]	28.05.2025	**आदेश** पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा 26.5.25 को उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। उपभोक्ता का खराब मीटर बदल दिया गया है। शिकायत का समाधान हो चुका है, अतः वाद निस्तारित किया जाता है, पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

अध्यक्ष (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.- 69 /2025-26

Shri/Smt. ललित मोहन दिग्वाल ......Vs Exeutive Engineer. ग्रा०न०ख०

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
Lalit Mohan Digwal	19/05/2025	आज यह परिवाद विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर ....डिगुली.... में प्राप्त हुआ है। विपक्षी / विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक .26 / 05 / 2025 तक अपना उत्तर पत्र ~~मय कन्ज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री~~ मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। [signatures]	26/05/25
[signature]	26.05.2025	आदेश पत्रावली प्रस्तुत । विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया । जिसमें विपक्षी द्वारा मैं. टी. एम. सी. कम्पनी को उपभोक्ताओं के बिल वितरण का कार्य समय पर करने हेतु निर्देशित किया गया है । अतः परिवादी की शिकायत का निस्तारण कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है । पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी